न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

(10)

प्रकरण सं. 89/2016
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2016/00203
किस्म दावा 88,89,,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 28.03.2025

1. रामजीलाल पुत्र मौहरसिंह जाति गडरिया निवासी बरौया कला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. अमृतलाल पुत्र खचेरी जाति गडरिया निवासी बरौया कला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. पुरूषोत्तम पुत्र खिल्लाराम जाति गडरिया निवासी बरौया कला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. शेरसिंह पुत्र पीतमसिंह जाति गडरिया निवासी बरौया कला तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(वादी की ओर से)

पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि आराजी मुतदाबिया वादीगण की खरीदशुदा खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी है। साबिक खसरा नंबर 583 व 727 से बंदोबस्त संवत 2028 में खसरा नंबर 824 व 660 कायम किए गए पुनः बंदोबस्त संवत 2060 में साबिक खसरा नंबर 824 व 660 से हाल खसरा नंबर 1171 रकबा 0.17, 1142 रकबा 0.18, 1144 रकबा 0.60 कायम किए गए जिसके नकल मिलान क्षेत्रफल , नकल जमाबंदी हाल संलग्न हैं।
2. यह कि आराजी मुतदाबिया वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। साबिक खसरा नंबर 824 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 660 रकबा 15

28/03/25

बिस्वा वाके मौजा बसैया कला तहसील नदबई का ग्यासी पुत्र सम्पत जाटव खातेदार काश्तकार था जिससे वादीगण के बाबा व वादी ने आराजी मुतदाबिया जरिए रजि0 वयनामा दिनांक 27.07.1962 को कीमतन क्रय किया एवं कब्जा प्राप्त किया। वादीगण के नाम वयनामा दिनांक 27.7.1962 के अनुसार नामान्तकरण दिनांक 21.5.93 को हो गया एवं वादीगण को आराजी मुतदाबिया का खातेदार दर्ज कर दिया गया, मगर बंदोबस्त 2028 में एससी का वयनामा होने के कारण वादीगण का नामान्तकरण निरस्त किया जाकर आराजी विवादित पुनः विक्रेता के नाम कर दी गई ।व्यथित होकर वादीगण ने न्यायालय हाजा में दावा पेश किया जो योग्य सहायक कलक्टर नदबई द्वारा दिनांक 17.5.85 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील की गई जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 24.4.92 के निर्णय में वादीगण के वयनामा को सही मानते हुए वादीगण के दावा को डिक्री करते हुए वादीगण की खातेदारी घोषित कर दी मगर तहसीलदार नदबई द्वारा उक्त डिक्री का अमल नहीं किया गया मगर वादीगण आराजी पर तारीख वयनामा से आज तक काबिज चले आ रहे हैं।

3. यह कि वादीगण विवादित आराजी पर वयनामा की तारीख 27.7.1962 से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के वादीगण के हक में पारित डिक्री का अमल न होने के कारण बंदोबस्त कर्मचारियों ने विक्रेता ग्यासी का कब्जा न होने व वादीगण का कब्जा होने से आराजी गैर कानूनी तरीके से बिना अधिकार सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि बंदोबस्त अधिकारीगणों को किसी की खातेदारी करने या खातेदारी घोषित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

4. यह कि आराजी मुतदाबिया पर वादीगण का नियमानुसार कब्जा चला आ रहा है। परन्तु बंदोबस्त अधिकारीगण द्वारा विवादित आराजी के सिवायचक दर्ज कागजात पटवार कर देने से प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विरूद्ध बेदखल की कार्यवाही अंतर्गत धारा 91 एलआर एक्ट किए जाने पर तहसीलदार नदबई ने धारा 91 एलआरएक्ट में पारित आदेश दिनांक 18.09.2006 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 12.06.2007

28/03/25

Scanned with OKEN Scanner

के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में की गई तथा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 18.05.2012 से निर्णय दिनांक 18.09.2006 व तहसीलदार नदबई व निर्णय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 12.06.2007 को निरस्त कर वादीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही बेदखली समाप्त कर दी गई व वादीगण का कब्जा बहैसियत खातेदार वैधानिक माना गया मगर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विरूद्ध इस वर्ष पुनः धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही कर दिनांक 20.05.2016 को आराजी के कुर्की व नीलामी की धमकी दी है जिस पर प्रतिवादीगण को कोई हक हासिल नहीं हैं। आराजी के वर्तमान गलत इन्द्राजात कायम रहने से वादीगण के हकों पर जवाल आने की पूरी संभावना है। जिससे वादीगण को आराजी के वर्तमान इन्द्राज को कलमजन करके आराजी पर अपनी खातेदारी घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

5. यह कि विवादित आराजी वादीगण की खरीदशुदा कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि हैं। जिस पर वयनामा को आज तक काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। मगर बंदोबस्त अधिकारी द्वारा अनाधिकार गैर कानूनी तरीके से आराजी सिवायचक के इन्द्राज कर दिए हैं। जिसके आधार पर प्रतिवादीगण की ओर से हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को दिनांक 20.05.2016 से बेदखली व कुर्की दीवानी की धमकी दी है। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी। अतः वादी खिलाफ प्रतिवादीगण हुक्मइम्तनाई दमामी की डिक्री से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है कि विवादित आराजी से बेदखल न करे व उसके कब्जेकाश्त में दखलदांजी न करे। अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी में वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए व हाल रिकॉर्ड में दर्ज सिवायचक के इन्द्राजात को कलमजन किया जाए।

यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित होकर अपना जबाव दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव के

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है–

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र के वर्तमान इन्द्राज पटवार कागजात को कलमजन कराके आराजी पर अपनी खातेदारी घोषित करा पाने के अधिकारी है। –जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाईदमामी की डिक्री से इस कदर पाबंद करे कि आराजी पर बेदखल न करे व उसके कब्जेकाश्त से बेदखल न करे। –जिम्मेवादीगण
3. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 1142, 1144, 1171 वाके बसैया कला सिवायचक लगानी खाता नंबर 1 में दर्ज है जो संवत 2052 से आदिनांक तक सिवायचक चली आ रही है। – जिम्मेप्रतिवादी
4. आया विवादित आराजी को ग्यासी पुत्र सम्पति जाति जाटव से जरिए वयनामा खरीद किया है जो अनुसूचित जाति का सदस्य है जो कि वादीगण सवर्ण जाति से है उक्त वयनामा में धारा 42 आरटीए का उल्लंघन होता है। – जिम्मेप्रतिवादी
5. आया विवादित आराजी पर वादीगण अवैध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.07.93 को वादीगण को बेदखल कर धारा 175 आरटीए के निर्णय पारित कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित हुए। मुताबिक आदेश इंतकाल संख्या 251 दिनांक 29.07.93 को सिवायचक दर्ज चली आ रही है। – जिम्मेप्रतिवादी

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 वाके ग्राम बसैया कला, नकल फैसला धारा 91 एलआरएक्ट, नकल निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर दिनांक 18.05.12, नकल निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर दिनांक 24.04.92 एवं मौखिक बयान के रूप में अमृत पुत्र खचेरी, राधे पुत्र रामजीलाल जाति गडरिया निवासी बसैया कला, जयदेव पुत्र रामजीलाल जाति गडरिया निवासी बसैया कला, शेरसिंह पुत्र पीतमसिंह जाति गडरिया निवासी बसैया कला, साहब सिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी बसैया कला, विनोद पुत्र रामखिलाडी जाति जांगिड निवासी बसैया कला पेश किए गए।

28/03/25

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण 251 दिनांक 29.07.93 पेश की गई।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस अन्तिम सुनी गई। वादीगण द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र के वर्तमान इन्द्राज पटवार कागजात को कलमजन कराके आराजी पर अपनी खातेदारी घोषित करा पाने के अधिकारी है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2070–73 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नंबर 1142, 1144, 1171 पेश की गई जिसमें विवादित आराजी सिवायचक लगानी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी के साबिक खसरा नंबर 583 व 227 से बंदोबस्त संवत 2028 में खसरा नंबर 824 व 660 कायम किए गए। बंदोबस्त संवत 2060 में साबिक खसरा नंबर 824 व 660 से उक्त हाल खसरा नंबर बने हैं। आराजी खसरा नंबर 583 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व 727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके बसैया कला को ग्यासी पुत्र संपत्ति जाति जाटव से दिनांक 30.07.1962 को वादीगण संख्या 2 के पिता व 3 व 4 के बाबा खचेरी एवं वादीगण संख्या 1 रामजीलाल पुत्र मौहरसिंह जाति गडरिया साकिन बसैया कला ने जरिए रजि0 विक्रयपत्र से क्रय की गई। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामा0 संख्या 128 से क्रेतागण खचेरी व रामजीलाल पिता मौहरसिंह जाति गडरिया के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हो गई। बंदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजातों को एंव विक्रयपत्र को नजरअंदाज कर करते हुए बिना किसी आधार के एवं बिना किसी अधिकार व कानून के विक्रेता ग्यासी के नाम राजस्व रिकॉड में दर्ज कर दिया गया। बंदोबस्त विभाग द्वारा किए गए गलत इन्द्राजात से व्यथित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर प्रथम के यहां इन्द्राज दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पेश किया। जो न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.1986 को खारिज कर दिया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में पेश की गई जिसका निर्णय

28/03/25

दिनांक 24.04.92 के अनुसार आराजी वादीगण द्वारा दिनांक 30.07.1962 को क्रय की गई है जिस समय यह विक्रयपत्र हुआ था उस समय धारा 42 आरटीए के प्रतिबंध लागू नहीं थे। धारा 42 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि को क्रय करने पर प्रतिबंध संबंधी संशोधन सन् 1964 में हुआ था जो पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं रखता था। इस प्रकार जो वयनामा दिनांक 30.07. 1962 को हुआ था कानूनी रूप से वैध था जिसे प्रभावशून्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अपील स्वीकार करते हुए आराजी पर खातेदार घोषित किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की इजराय हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष पेश किए जाने का उल्लेख किया गया परन्तु वादीगण द्वारा उक्त इजराय पालना की प्रति न्यायालय में पेश नहीं की गई जिससे यह साबित होता हो कि उक्त डिक्री की पालना तहसीलदार नदबई द्वारा नहीं की गई हो। एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री अनुसार वादीगण को विवादित आराजी पर कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए। चूंकि विवादित आराजी पर पूर्व में भी वादीगण की खातेदारी नहीं रही है एवं वर्तमान में भी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है अतः सिवायचक आराजी से खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदान नहीं किए जा सकते है। उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में साबित होती है।

2. आया वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाईदमामी की डिक्री से इस कदर पाबंद करे कि आराजी पर बेदखल न करे व उसके कब्जेकाश्त से बेदखल न करे। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। चूंकि विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाईदमामी की डिक्री से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि वादीगण को किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में साबित होती है।

3. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 1142, 1144, 1171 वाके बसैया कला सिवायचक लगानी खाता नंबर 1 में दर्ज है जो संवत 2052 से आदिनांक तक सिवायचक चली आ रही है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार

28/03/25

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामा0 संख्या 251 दिनांक 29.07.93 पेश की गई जिसमें उक्त विवादित आराजीयात को सिवायचक लगानी दर्ज रिकॉर्ड की गई जो कि संवत 2052 से आदिनांक तक सिवायचक दर्ज लगानी रिकॉर्ड में चली आ रही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में तय होती है।

4. आया विवादित आराजी को ग्यासी पुत्र सम्पति जाति जाटव से जरिए वयनामा खरीद किया है जो अनुसूचित जाति का सदस्य है जो कि वादीगण सवर्ण जाति से है उक्त वयनामा में धारा 42 आरटीए का उल्लंघन होता है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। वादीगण द्वारा आराजी को ग्यासी पुत्र संपत्ति कौम जाटव से जरिए वयनामा खरीद करना बताया है जो अनुसूचित जाति का सदस्य है जबकि वादीगण सवर्ण जाति से संबंध रखते हैं। उक्त वयनामा में धारा 42 आरटीए का उल्लंघन होता है। अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

5. आया विवादित आराजी पर वादीगण अवैध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.07.93 को वादीगण को बेदखल कर धारा 175 आरटीए के निर्णय पारित कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित हुए। मुताबिक आदेश इंतकाल संख्या 251 दिनांक 29.07.93 को सिवायचक दर्ज चली आ रही है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। नकल निर्णय दिनांक 26.07.93 के अनुसार न्यायालय द्वारा वादीगण को बेदखल कर धारा 175 आरटीए के निर्णय पारित कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित किए गए थे। निर्णयानुसार ही इंतकाल संख्या 251 दिनांक 29.07.93 को सिवायचक दर्ज की गई जो वर्तमान में बदस्तूर आदिनांक तक चली आ रही है। अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निणर्य विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होता है चूंकि विवादित आराजीयात संवत 2052 से आदिनांक तक सिवायचक भूमि है। अगर सिवायचक भूमि में से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो राज्यहित प्रतिकूल प्रभावित होगा। अतः वादीगण का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

28/03/25

Scanned with OKEN Scanner

(17)

अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner